



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102020-222687
CG-DL-E-23102020-222687

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3347]
No. 3347]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2020/कार्तिक 1, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2020/KARTIKA 1, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3776 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना –

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2020 है।

2. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश, 2016 में खंड 3 के उप-खंड (2) में, मद संख्या (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(iv) प्याज के मामले में, सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में व्यापारियों पर दिनांक 31 दिसंबर, 2020 की अवधि तक निम्नलिखित स्टॉक सीमा:

थोक विक्रेता: 25 मीट्रिक टन एवं खुदरा विक्रेता: 2 मीट्रिक टन

बशर्ते कि आयातक, जो थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता अथवा डीलर है, को प्याज के आयातित स्टॉक के संबंध में छूट प्राप्त होगी।”

[फा. सं. एस-10/3/2017- ईसीआर एंड ई]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 29 सितंबर, 2016 के सा.का.नि. संख्या 929 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया और तत्पश्चात् दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 के का. आ. संख्या 3341 (अ), दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के का.आ. संख्या 1288 (अ), दिनांक 17 मई, 2017 के का.आ. संख्या 1600 (अ), दिनांक 25 अगस्त, 2017 के का.आ. संख्या 2785 (अ), दिनांक 27 सितंबर, 2017 के का.आ. संख्या 3136 (अ), दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 के का.आ. संख्या 3397 (अ), दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के का.आ. संख्या 3422 (अ), दिनांक 27 दिसंबर, 2017 के का.आ. संख्या 4079 (अ), दिनांक 13 जून, 2018 के का.आ. संख्या 2414 (अ), दिनांक 6 अगस्त, 2019 के का.आ. संख्या 2826 (अ) दिनांक 29 सितंबर, 2019 के का.आ. संख्या 3540 (अ), दिनांक 28 नवंबर, 2019 के का.आ. संख्या 4298 (अ), दिनांक 03 दिसंबर, 2019 के का.आ. संख्या 4341 (अ), दिनांक 10 दिसंबर, 2019 के का.आ. संख्या 4417(अ), दिनांक 16 दिसंबर, 2019 के का.आ. संख्या 4471(अ) और दिनांक 27 फरवरी, 2020 का.आ. संख्या 901(अ) द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 23rd October, 2020

S.O. 3776 (E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, namely:—

1. Short Title and Commencement-

1. This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order, 2020.
2. It shall come into force with immediate effect.

2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), after the item (iii), the following item shall be inserted namely:-

“(iv) Onion, for a period up to the 31st December, 2020 with following stock limits on traders for all the States and Union Territories;

Wholesaler: 25 MT and Retailer: 2 MT

Provided that an importer, being a wholesaler or retailer or dealer shall be exempted for the imported stock of onions.”

[F.No.S-10/3/2017-ECR&E]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 929(E), dated the 29th September, 2016 and was subsequently amended *vide* numbers S.O. 3341(E), dated the 27th October, 2016, S.O.1288(E), dated the 25th April, 2017, S.O. 1600(E), dated the 17th May, 2017, S.O.2785 (E), dated the 25th August, 2017, S.O. 3136(E), dated the 27th September, 2017, S.O. 3397(E), dated the 23rd October,2017, S.O. 3422(E), dated the 25th October,2017, S.O.4079(E), dated the 27th December,2017, S.O. 2414(E) dated the 13th June, 2018, S.O.2826(E), dated the 6th August, 2019, S.O. 3540(E), dated the 29th September, 2019, S.O.4298(E), dated the 28th November, 2019, S.O. 4341(E) dated the 3rd December, 2019, S.O. 4417(E), dated the 10th December, 2019, S.O. 4471(E) dated the 16th December, 2019 and S.O. 901(E) dated the 27th February, 2020.